

बजट भाषण वर्ष 2019-2020

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं सर्वप्रथम महान अर्थशास्त्री और राजनीतिवेत्ता कौटिल्य का स्मरण करता हूँ। वे राज्य का शासन कारगर तरीके से चलाने की प्रणाली पर कहते हैं —

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम्।

नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।

अर्थात् प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में उसे अपना हित दिखना चाहिये। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को प्रिय लगे उसमें है। कौटिल्य का यही सूत्रवाक्य हमारी सरकार का मूलमंत्र है।

मैं अब, लोक तंत्र के पावन मंदिर के “आशीष मण्डप” से हमारी सरकार की ओर से प्रदेश की जनता का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। इस सदन में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों की ओर से प्रदेश की जनता को हम यह विश्वास दिलाते हैं कि इस “आशीष मण्डप” से घोषित कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ समन्वित एवं सार्थक रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल एवं प्रेरणादायी नेतृत्व में, माननीय सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता के समक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये बजट प्रस्तुत करते हुये मुझे खुशी व गौरव की अनुभूति हो रही है। खुशी इसलिये क्योंकि अब प्रदेश की जनता को, भावनात्मक शब्द जालों के स्थान पर प्रतिबद्धता का अनुभव होना प्रारंभ हो चुका है। गौरव इसलिये कि हमारी सरकार ने अल्प अवधि में ही

महत्वपूर्ण निर्णयों को क्रियान्वित करने की इच्छाशक्ति और क्षमता दिखाई है। यह सरकार की स्पष्ट नीयत दर्शाता है।

2. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 17 दिसम्बर 2018 को कार्यभार ग्रहण किया। 10 मार्च से 25 मई 2019 तक आचार संहिता प्रभावशील रही। आचार संहिता के दौरान न केवल काम करने पर बंदिशें थीं बल्कि आप और हम सब राजनैतिक कार्यों में व्यस्त थे। आचार संहिता की अवधि को छोड़कर हमें मात्र 128 दिन ही कार्य करने के लिये उपलब्ध हुए हैं। हमारी सरकार ने इस अल्प अवधि में ही अनेक जन-कल्याणकारी कार्यों को मूर्तरूप दिया है। किसानों के ऋण माफ, बिजली का बिल हाफ, युवाओं को रोजगार के लिये युवा स्वाभिमान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को दुगना करना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में अनुदान राशि को बढ़ाना, पुजारियों का मानदेय 3 गुना करना, औद्योगिक निवेश के लिये लैण्ड-पूलिंग पॉलिसी, पुलिस कर्मियों को सप्ताह में 1 दिन का अनिवार्य अवकाश दिये जाना जैसे कार्यों से आम जनता में यह संदेश पहुँच चुका है कि यह सरकार घोषणावीर न होकर कर्मवीर है। हमारी सरकार की इस प्रतिबद्धता से जनता में आशाएँ जगी हैं, विश्वास मजबूत हुआ है। इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुये मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये बजट प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

3. मैं सदन का ध्यान पूर्व सरकार के सम्माननीय वित्त मंत्री जी, जो कि मेरे वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ हैं, द्वारा सार्वजनिक मंच से दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने नई सरकार को

खाली खजाना दिया है। इसके बावजूद हमने राजस्व आय के नये स्रोतों को चिन्हांकित कर आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने का प्रयास किया है।

**विषम परिस्थितियाँ,
जैसे हो गहन अंधेरा।
हिम्मत और यत्न,
जैसे हो उजला सवेरा।।**

4. बजट प्रस्तावों में वृद्धजनों का आसरा, महिलाओं की निश्चिन्तता, तरुणों की तरुणाई, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र विकास की पहल, कन्याओं को अभय, व्यवसायियों को निर्बाध व्यवसाय का संदेश, किसानों को सुखद जीवन का आधार, कर्मियों को निश्चिन्त भविष्य का विश्वास, कर्मकारों की दैनिक जीवन की कठिनाईयों की चिंता, जनता के जीवन-यापन को सुविधा सम्पन्न बनाने की सोच, युवाओं के लिये रोजगार के अवसर एवं प्रदेश के औद्योगिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिये आवश्यक प्रावधान रखे गये हैं।

5. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पुण्य सलिला, मोक्षदायनी, मार्ग के तमाम अवरोधों में भी निर्जल व निर्बाध प्रवाह की शक्ति सम्पन्नता से पूर्ण 'माँ नर्मदा' के सानिध्य का भरपूर सौभाग्य मिला है। मुझे उनकी गति, प्रवाह, बड़े से बड़े अवरोधों को चीरकर आगे ही बढ़ते जाने की प्रवृत्ति एवं अतल गहराईयों से प्रेरणा मिलती है। मैं आज इस समय भी उनका स्मरण कर रहा हूँ एवं इससे मुझे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करने का बल मिल रहा है कि मेरी हर रग-रग, प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिये समर्पित है।

**“अपनी लंबाई का गुरूर है रास्तों को,
लेकिन,
वो मेरे कदमों के मिजाज नहीं जानता”**

6. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के प्रस्तावों को विस्तार में बताने के पूर्व दुनिया एवं देश का वर्तमान **आर्थिक परिदृश्य** माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूँ।
7. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा अप्रैल, 2019 में जारी प्रतिवेदन (World Economic Outlook) के अनुसार वर्ष 2018 तथा 2019 में वर्ष 2017 की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर विकसित एवं विकासशील देशों दोनों में कम रहने के अनुमान है। निकट भविष्य में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव एक प्रमुख जोखिम है।
8. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर विगत कई वर्षों से देश के सामर्थ्य की तुलना में धीमी रही है। पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमास में तो यह वृद्धि दर गिरकर मात्र 5.8 प्रतिशत रह गई। देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 6.1 प्रतिशत पहुंच गई जो संभवतः विगत 45 वर्षों में अधिकतम है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की दर 20.4 प्रतिशत रखी गई थी जबकि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में प्रकाशित प्रावधिक आंकड़ों के अनुसार यह दर मात्र 8.9 प्रतिशत रही है। केन्द्र शासन द्वारा अर्थव्यवस्था के समुचित प्रबंधन के अभाव का प्रतिकूल प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक है।
9. केन्द्र से मध्य प्रदेश को विभाजनीय करों में हिस्सेदारी की राशि में निरन्तर कमी हो रही है। विगत वित्तीय वर्ष में बजट अनुमान की अपेक्षा लगभग ₹ 2 हजार करोड़ कम प्राप्त हुए। केन्द्र सरकार द्वारा फरवरी, 2019 में प्रस्तुत अंतरिम बजट के आंकड़ों की तुलना में हाल में लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत बजट प्रस्ताव

के अनुसार अब प्रदेश को वर्ष 2019-20 में लगभग ₹ 2 हजार 677 करोड़ कम प्राप्त होने का अनुमान है। हमारा बजट अनुमान अंतरिम बजट के आंकड़ों पर आधारित है। अतः हमें प्रदेश में संसाधनों एवं व्ययों की निरन्तर समीक्षा कर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक कदम उठाने होंगे।

10. संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत विभाजनीय करों में हिस्सेदारी के संबंध में अनुशंसाएं प्रस्तुत करने हेतु वित्त आयोग का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। नवम्बर, 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के लिये निर्धारित विचारणीय विषय (Terms of reference) पूर्ववर्ती आयोगों के लिये निर्धारित विचारणीय विषयों से काफी भिन्न प्रकृति के हैं। लगभग सभी राज्यों ने संविधान के अन्तर्गत राज्यों के वित्तीय अधिकारों तथा करों में हिस्सेदारी कम होने के संबंध में अपनी आशंका से वित्त आयोग को अवगत कराया है। आयोग की मध्य प्रदेश शासन के साथ हाल में बैठक हुई थी। हमने राज्यों की हिस्सेदारी (vertical devolution) 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग रखी है।

11. माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत कुछ वर्षों में केन्द्र सरकार ने सेस एवं सरचार्ज बढ़ाकर काफी अधिक राजस्व संग्रहण किया है, जिसकी हिस्सेदारी राज्यों के साथ नहीं है। हमने आयोग को ऐसे राजस्व को राज्यों एवं केन्द्र के बीच विभाजित करने हेतु संविधान संशोधन प्रस्तुत करने की अनुशंसा करने की मांग की है। संविधान के अन्तर्गत प्रदेश को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये हम पुरजोर प्रयास करते रहेंगे। वास्तव में सेस एवं सरचार्ज लगाना कॉर्पोरेटिव

फैडरलिज्म (Cooperative Federalism) की भावना के विपरीत है। यह विषय किसी सरकार या पार्टी तक सीमित नहीं है, यह प्रदेश के हित का विषय है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप और हम साथ चलकर केन्द्र सरकार के सामने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखें।

12. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी के लिये यह सम्मान की बात है कि हम देश के दूसरे सबसे बड़े प्रदेश के नागरिक हैं किन्तु मैं कल जारी मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। यह चिंता का विषय है कि हमारे प्रति व्यक्ति आय, गरीबी का अनुपात तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति देश की औसत की तुलना में संतोषजनक नहीं है। नीति आयोग द्वारा जारी विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में गरीबी का स्तर 29 राज्यों में से 27वें स्थान पर है।

13.

तेरे पास जो है, उसी की कद्र कर।

यहां आसमां के पास भी खुद की जमीं नहीं।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पंक्तियों से प्रेरित होकर कठिनतम परिस्थितियों में भी हमारी सरकार ने अल्पकाल में जन हित की योजनाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। आगाज अच्छा है, नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है। निश्चित ही आगे आने वाले समय में प्रदेश को देश के अग्रणी प्रदेशों में होगा।

14. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के लिये युवाओं के रोजगार व स्वावलम्बन की चिंता सर्वोपरि है। इसी लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभार ग्रहण करते ही तत्काल उद्योग नीति को संशोधित करने का आदेश किया। अब इस नीति में नई इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत प्रदेश के

स्थायी निवासियों को दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अब इसे कानूनी रूप देने का काम प्रारंभ कर दिया है।

15. हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि औद्योगिक निवेश मांगने से नहीं आता। यह व्यवस्था में विश्वास से आकर्षित होता है। निवेशकों में मध्यप्रदेश के प्रति विश्वास पैदा करने की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू किये जा चुके हैं। प्रदेश के लिये यह गौरव की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम देश-विदेश के उद्योग जगत में सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी इस प्रतिष्ठा का लाभ प्रदेश को मिलना प्रारंभ हो गया है। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, उद्योगों तथा निवेश प्रोत्साहन के लिये रोजगार के सृजन तथा निवेश के प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही के लिये आवश्यक व्यवस्था प्रारंभ की गई है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश का सकारात्मक वातावरण बना है। निवेश प्रोत्साहन में Land Pooling Policy का पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। औद्योगिक विकास तथा निवेश संवर्धन के लिये वर्तमान उद्योग संवर्धन नीति में आमूल-चूल परिवर्तन के साथ उद्योग संवर्धन नीति-2019 का प्रारूप तैयार किया गया है।

16. हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नवीन टेक्सटाईल-गारमेंट पार्क एवं एक कन्फेक्शनरी पार्क स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त मिष्ठान एवं नमकीन क्लस्टर हेतु एक कॉमन फेसिलिटेशन सेन्टर का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

17. माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेश प्रोत्साहन हेतु लिये गये निर्णयों के सार्थक परिणाम प्राप्त होने प्रारंभ हो गये हैं। प्रदेश में इतने सीमित समय में 17 वृहद औद्योगिक इकाईयों में उत्पादन प्रारंभ हुआ है। Magnificent Madhya

Pradesh का आयोजन दिनांक 18 से 20 अक्टूबर, 2019 तक इंदौर में किया जाएगा। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश के प्रयास किये जावेंगे।

18. युवाशक्ति, किसी भी सरकार की ताकत है। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि युवाओं की ऊर्जा, उत्साह, उमंग, उल्लास को सकारात्मक व रचनात्मक दिशा दें। हमारी सरकार की प्रत्येक योजना में उनकी अहम भागीदारी रखी जायेगी।

19. आपको याद होगा कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी केन्द्रीय सरकार में मंत्री थे तब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई थी जिसके सकारात्मक परिणाम रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब प्रदेश का नेतृत्व संभालते ही शहरी युवाओं के लिये युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदाय कर स्थाई रोजगार के लिये सक्षम बनाना है। इस योजना में अब तक 17 हजार से अधिक युवाओं का प्रशिक्षण भी प्रारंभ हो चुका है।

20. स्वरोजगार की योजनाओं के बेहतर समन्वय के लिये इन योजनाओं के प्रावधान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत रखना प्रस्तावित है। सभी विभागों की स्वरोजगार योजनाओं को एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल पर लाया जाकर बैंकों के पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। सीमित अवधि में 40 हजार से अधिक युवाओं को इन योजनाओं में लाभान्वित किया गया है। महिलाओं के स्वरोजगार के लिये एक अभिनव योजना के रूप में मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना प्रारंभ की जानी प्रस्तावित है।

21. एम.एस.एम.ई के समग्र विकास हेतु नवीन एम.एस.एम.ई. विकास नीति लायी जा रही है। युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये नवीन स्टार्टअप नीति का प्रारूप भी तैयार किया गया है।

22. मध्यप्रदेश के विशेष उत्पाद जैसे 'चंदेरी एवं महेश्वर की साड़ियां', 'धार का बाघ प्रिंट कपड़ा', 'भोपाल के बटुए', 'छतरपुर एवं टीकमगढ़ के पीतल के उत्पाद', 'रतलाम के सेव', 'मुरैना की गजक', 'भिण्ड के पेड़े', 'सागर की चिरौंजी बर्फी', 'मालवा के चूरमा-लड्डू व बाटी', 'बुन्देलखण्ड की मावा जलेबी', तथा अन्य ऐसे उत्पादों की देश-विदेश में पहचान स्थापित किये जाने के लिये उनकी ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग विशेषज्ञ एजेन्सियों के माध्यम से की जायेगी।

23. प्रदेश के विभिन्न हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने, विश्वसनीयता स्थापित करने के उद्देश्य से प्रमोशन, अभिलेखीकरण एवं ब्राण्ड बिल्डिंग के लिये नवीन योजना प्रारंभ की जानी प्रस्तावित है।

24. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अन्नदाता किसानों के हितों को संरक्षित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि योजनाओं के लिए कुल ₹ 22 हजार 736 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो विगत वर्ष के बजट अनुमान से 145 प्रतिशत अधिक है। आपको स्मरण होगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के तत्काल बाद पहला आदेश किसानों के ऋण माफ करने का ही जारी किया। **'जय किसान फसल ऋण माफी योजना'** के अंतर्गत एन.पी.ए. प्रकरणों के लिये बैंकों के साथ एक मुश्त समझौता कर ऋण मुक्ति प्रमाणपत्र दिये जा रहे हैं। इस योजना का अभिनव पहलू है कि नियमित ऋण

भुगतान करने वाले किसानों के खाते में भी बकाया राशि के अनुसार राशि जमा कराई जा रही है और उनको सम्मान पत्र भी दिया जा रहा है। इससे निश्चित ही नियमित ऋण भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी सरकार ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व मिले मात्र दो माह के अल्प समय में ही लगभग 20 लाख किसानों के लगभग 7 हजार करोड़ के ऋण माफ किये। अब द्वितीय चरण प्रारंभ किया जाकर शेष किसानों के संबंध में कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये बजट अनुमान में ₹ 8 हजार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

25. हमारी सरकार ने किसानों के बिजली के बिल भी हाफ कर दिये हैं। इंदिरा किसान ज्योति योजना के अंतर्गत 10 हार्सपावर तक के कृषि पंप कनेक्शनों के लिये बिजली की दर ₹ 1400 प्रति हार्सपावर प्रति वर्ष को आधी कर ₹ 700 कर दी गई है। इसके लिये बजट में ₹ 8 हजार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त घरेलू उपभोक्ताओं के लिये इंदिरा गृह ज्योति योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत अब 100 यूनिट की खपत का बिल ₹ 100 प्रतिमाह कर दिया गया है जिसके लिये बजट में ₹ 2 हजार 400 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

26. किसान प्रतिनिधियों से निरंतर संवाद बनाये रखने, समस्याओं के समाधान एवं किसानों के लिये योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन की संस्थागत व्यवस्था हेतु कृषि सलाहकार परिषद् का गठन किया जायेगा। परिषद् में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के कृषकों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा। कृषक बंधु योजना प्रारंभ की जायेगी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष नवीन कृषक बंधुओं को चयनित एवं प्रशिक्षित किया जाएगा। आगामी वर्षों में ग्रामीण स्तर पर प्रगतिशील प्रशिक्षित कृषक उपलब्ध होंगे।

27. विगत वर्षों में प्रदेश में अनेक सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति दयनीय हो गई थी। परिणामस्वरूप कृषकों को ऋण वितरण नहीं हो पा रहा था। हमारी सरकार ने विगत वित्तीय वर्ष में सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये ₹ 1 हजार करोड़ का अंशपूंजी धनवेष्ठन किया। हमें सदन को यह अवगत कराते हुये हर्ष है कि 15 सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को वित्त पोषण का कार्य सुदृढ़ता से पुनः प्रारंभ कर दिया है। बजट अनुमान में पुनः ₹ 1 हजार करोड़ के धनवेष्ठन का प्रस्ताव है।

28. माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में प्रदेश में कई इकाइयां आर्थिक मंदी के दौर एवं पूंजी के अभाव में प्रभावित हुई हैं। हमारी सरकार उन्हें तथा नई इकाइयों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। गन्ना उत्पादक किसानों के लिये आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

29. बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि आय बढ़ाने के लिये महत्वपूर्ण हैं। हमारी सरकार ने **मुख्यमंत्री बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना** प्रारंभ करने के लिये ₹ 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है।

30. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावो भूतं च् भव्यं च् गावः पुष्टिः सनातनी। यानी पहले के लोगों का ऐश्वर्य गौ पर अवलंबित था, आगे की उन्नति भी गौ पर निर्भर है। गौ सब समय पुष्टि का साधन है। हमने गौशाला के लिये विशेष परियोजना प्रारंभ कर वह कर दिखाया है जो पूर्व सरकार 15 वर्षों में नहीं कर सकी। हमने गौ शालाओं के तीन मॉडल्स प्रारूपित किये हैं। पहला, कन्वर्हेजेनस पर आधारित एक मिश्रित मॉडल है जिसमें मनरेगा, आत्मा और राज्य

शासन के स्त्रोंतो के जरिये एक हजार स्थानों पर यह कार्य हाथ में लिया गया है। राज्य शासन के स्त्रोंतों के लिए ₹ 132 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। दूसरा, कॉरपोरेट मॉडल है जिसमें व्यवसायिक आधार पर निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा। तीसरा मॉडल, आर्थिक सामर्थ्य वाले मन्दिरों की चुनिन्दा भूमियों को शास्त्रीय तरह से विकसित किया जायेगा। इन गौ शालाओं के साथ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा खोली गई पुरानी गौ शालाओं के लिये भी चारे और भूसे के लिये हमारी सरकार ने ₹ 20 प्रतिदिन गौवंश समर्थन दिये जाने का निर्णय लिया है।

31. किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ अब पशुपालकों और मछुआरों को भी मिलेगा। प्रदेश में प्रथम बार ग्वालियर तथा जबलपुर में डेयरी साइंस एवं खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने प्रस्तावित हैं। दुग्ध प्रसंस्करण तथा इस क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान को गति मिलेगी तथा रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे।

32. पशुपालन एवं मछली पालन विभागों के लिये वर्ष 2019-20 में ₹ 1 हजार 309 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो विगत वर्ष से 16 प्रतिशत अधिक है।

33. माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ समाज ही सुखी और समृद्ध हो सकता है। विगत 15 वर्षों से प्रदेश की जनता निरन्तर यह सुनती आ रही है कि हमारा प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया है। स्वर्णिम मध्यप्रदेश के हर मंच से रागे गये आलाप को 15वें वित्त आयोग द्वारा आईना दिखाया गया है। स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में देश की औसत के सापेक्ष प्रदेश में सुधार न होना गंभीर विषय है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश की जनता को उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जाये। हमारी सरकार मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु

दर एवं सकल प्रजनन दर कम करने हेतु हर संभव प्रयास करने के लिये प्रतिबद्ध है।

34. प्रदेश में 06 नवीन सिविल अस्पताल, 70 नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 329 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 308 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थापना की कार्य योजना बनाई गई है।

35. चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लिए बैकलॉग के 1065 पदों पर चयन एवं 525 एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों की बंधपत्र के अनुक्रम में पदस्थापना की कार्यवाही की जा रही है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के कम्प्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के 1015 पदों एवं ए. एन. एम. के 2 हजार पदों की पूर्ति भी की जाएगी।

36. नागरिकों के स्वास्थ्य के संबंध में न्यायसम्य एवं समरूप स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा **स्वास्थ्य का अधिकार** लागू करने का चुनौतीपूर्ण निर्णय लिया गया है।

37. प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों की आम जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे क्षेत्रों में योग्य चिकित्सकों की पदस्थापना के लिये हमारी सरकार ने **मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना** प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

38. प्रदेश में इस वर्ष तीन नये शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किये जाएंगे एवं विद्यमान महाविद्यालयों में सीट वृद्धि के साथ कुल 850 सीट की वृद्धि होगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 203 सीटों की चरणबद्ध वृद्धि की जा रही है। वायरल जनित बीमारियों की जाँच के लिये प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों पर

वायरोलॉजी लैब क्रमिक रूप से प्रारंभ किये जाने प्रस्तावित हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा तथा जबलपुर में बर्न-यूनिट तथा स्किल सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेव्लोपमेंट प्रारंभ किये जाने प्रस्तावित हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना के आठ वर्ष उपरांत अब परिसर निर्माण प्रस्तावित है।

39. राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत 100 आयुष वेलनेस सेंटर, 9 नवीन आयुष विंग तथा मंडलेश्वर में तीस बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय प्रारंभ किये जाने प्रस्तावित हैं।

40. स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के लिये ₹ 10 हजार 472 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

41. महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण सामाजिक और आर्थिक विकास तथा कुपोषण को समाप्त करने के लिये चल रही योजनाओं को प्रभावी एवं परिणामजनक बनाया जायेगा। गंभीर कुपोषित बच्चों का समुदाय स्तर पर प्रबंधन किये जाने के लिये नौ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। महिला एवं बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों के लिए ₹ 5 हजार 293 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

42. माननीय सदन इस बात से सहमत होगा कि शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था में और सुधार आवश्यक है। विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण कर तथा रिक्त पदों की पूर्ति कर समुचित संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराये जाएंगे। शिक्षा को गुणवत्तायुक्त एवं रोजगार-मूलक बनाने के प्रयास किये जायेंगे। वर्ष 2019-20 में लगभग 83 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किये जाने का लक्ष्य है। भोपाल में आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित राज्य स्तरीय पुस्तकालय का निर्माण प्रस्तावित है। विद्यालयों

में बिजली, पानी एवं शौचालयों आदि की अधोसंरचना की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए ₹ 24 हजार 499 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो विगत वर्ष से ₹ 2 हजार 775 करोड़ अधिक है।

43. प्रदेश में खेलों के विकास के लिये प्रयास निरंतर रखे जायेंगे। प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचनायें एवं प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। खेल सुविधाओं के विस्तार के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबाल अकादमी तथा स्वीमिंग अकादमी प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

44. हमारी सरकार की नीति है कि ऐसी योजनायें क्रियान्वित हों जिनसे न्यायपूर्ण व समानता आधारित समाज का निर्माण हो। प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं एवं दिव्यांगों की आर्थिक आवश्यकताओं को संवेदनशीलता के साथ समझते हुये सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹ 300 प्रतिमाह को दुगना कर ₹ 600 प्रतिमाह किया गया है, जिसका लाभ 42 लाख से अधिक हितग्राहियों को मिल रहा है।

45. माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक पेंशन के लिये हितग्राहियों की अधिकतम संख्या की सीमा तय की गई है। परिणामस्वरूप प्रदेश के समस्त पात्र नागरिकों को योजनान्तर्गत लाभ देने के लिये प्रदेश पर अत्याधिक वित्तीय भार पड़ता है। मैं अपने विपक्ष के साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमारे साथ चलकर केन्द्र सरकार से हितग्राहियों की संख्या की सीमा को समाप्त कराने में सहयोग प्रदान करें।

46. हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों को संरक्षित करते हुये उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये आदेश जारी किये गये हैं।

47. माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज में कन्याओं के विवाह में होने वाले खर्चों को लेकर चिंता रहती है। हमारी सरकार ने कन्या विवाह एवं निकाह की योजना में सरकारी सहायता की राशि ₹ 28 हजार को बढ़ाकर ₹ 51 हजार कर आय सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है। अब तक 52 हजार से अधिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

*“समाज के सर्वहारा वर्ग को है हमारा साथ,
जन सेवा के लिये सदैव खुले हमारे हाथ।”*

48. माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये छात्रवृत्ति, आवास सुविधा, निःशुल्क कोचिंग, उच्चतर अध्ययन के लिये आर्थिक सहायता, विदेश में अध्ययन के लिये आर्थिक अनुदान, रहवासी क्षेत्रों में उपयुक्त अधोसंरचना आदि योजनाओं के लिये पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित है। इस वर्ग की कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होने दी जायेगी।

49. आदिवासी हितग्राहियों को अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के माध्यम से दिये गये ₹ एक लाख तक के ऋण माफ किये गये हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से दिये गये ₹ 1 लाख तक के ऋण माफ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

50. प्रदेश के आदिवासियों के संस्कृति के संरक्षण एवं उनके कुल एवं ग्राम के देवी-देवता के स्थानों में निर्मित देवगुड़ी, मढ़िया, देवठान के निर्माण / जीर्णोद्धार तथा सामुदायिक भवन निर्माण, सभा कक्ष, पेयजल, स्नानागार और शौचालय आदि की व्यवस्था के लिए **आष्ठान योजना** प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीण हाट बाजारों में ए. टी. एम. स्थापित करने के लिये पायलेट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जा रहा है।

51. आदिवासी वर्ग के जिन दावेदारों के वनाधिकार दावे निरस्त किये गये थे उनको बे-दखल करने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध हमने पुनर्विचार याचिका दायर की। मुझे प्रसन्नता है कि बे-दखली की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। वनमित्र साफ्टवेयर के माध्यम से अब इन प्रकरणों का पुनर्परीक्षण किया जायेगा।

52. अनुसूचित जाति विभाग अन्तर्गत 144 छात्रावास, आदिवासी कल्याण विभाग अन्तर्गत 43 छात्रावास एवं 65 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण कार्य पूर्ण किये जायेंगे।

53. आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत ₹ 33 हजार 466 करोड़ एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए ₹ 22 हजार 792 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि विगत वर्ष से क्रमशः 5 हजार 992 करोड़ एवं 4 हजार 58 करोड़ अधिक है।

54. हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण का अभूतपूर्व निर्णय लिया है। इस वर्ग के लिये संचालित विभिन्न छात्रवृत्तियों में लगभग 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभांशित करने का लक्ष्य है।

55. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिये कृतसंकल्पित है। मसाजिद कमेटी भोपाल, वक्फ बोर्ड एवं हज कमेटी के अनुदान में वृद्धि की गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विभाग के लिये ₹ 8 सौ 21 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

56. प्रदेश के युवाओं के लिये उच्च शिक्षा के आयामों में सुधार करते हुये इसे अधिक लाभप्रद एवं रोजगारोन्मुखी बनाया जायेगा। हमारी सरकार ने छिन्दवाड़ा में नवीन विश्वविद्यालय प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया है। झाबुआ में नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया है।

57. माननीय अध्यक्ष महोदय, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा प्रमुख प्राथमिकताओं में है। मध्यप्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत स्टार्ट-अप इच्छुक छात्रों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने का अभिनव प्रयास किया गया है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये संभागीय स्तरीय आई.टी.आई. को उत्कृष्ट आई.टी.आई. के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

58. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण हेतु 'नया सवेरा' कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत वंचित वर्ग के जीवन स्तर को नये आयाम दिये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

परिन्दे रूक मत, तुझमें जान अभी बाकी है,

मंजिलें बहुत दूर है, उड़ान अभी बाकी है,

जिन्दगी वो जंग है, जिसमें हौसला जरूरी है,

जीतने के लिये अभी सारा जहान बाकी है।

59. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विकास के लिये आवागमन एवं परिवहन की समुचित व्यवस्था करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विगत छः माह में लगभग 2 हजार कि.मी. सड़क मार्ग का निर्माण, 1 हजार 550 कि.मी. सड़क का नवीनीकरण एवं 27 पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया। जिला मुख्यालय से तहसील

मुख्यालय को जोड़ने वाली 4 हजार 500 कि.मी. की सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ए.डी.बी. योजना के छठवें चरण के अन्तर्गत ₹ 3 हजार 600 करोड़ की निविदाएं स्वीकृत की गई हैं।

60. सड़क के आस-पास की शासकीय भूमि को व्यावसायिक उपयोग के लिये उपलब्ध कराया जाकर वित्त पोषण की व्यवस्था की जाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एन.डी.बी. आदि संस्थाओं से भी वित्तीय संसाधन जुटाये जायेंगे।

61. माननीय अध्यक्ष महोदय, भोपाल-इन्दौर एक्सप्रेस-वे का निर्माण कर सेटेलाइट टाउन, औद्योगिक क्षेत्र तथा ड्राय-पोर्ट विकसित किये जाने की योजना बनाई जा रही है। प्रदेश के विकास में यह एक अभूतपूर्व परिवर्तनकारी कदम होगा।

62. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी के लिये भारत सरकार के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है। इस हेतु निविदायें स्वीकृत की जा चुकी हैं एवं संबंधित एजेंसियों ने वायु सेवा प्रारंभ करने की सहमति भी दी है। इस योजना में दतिया, रीवा, उज्जैन और छिंदवाड़ा को वायु सेवा उपलब्ध होगी।

63. माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर चिंता का विषय है कि विगत पांच वर्षों में विद्युत क्षेत्र में ए. टी. एण्ड सी. हानियां लगभग 22 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत तक पहुंच गई। संभवतः मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा प्रदेश होगा जहां सुधार के स्थान पर हानियां बढ़ी हैं। इस संबंध में 15वें वित्त आयोग द्वारा व्यक्त किया गया कि यह स्थिति असंवहनीय (Unsustainable) हो गई है। विद्युत वितरण कम्पनियों को अधिक धन उपलब्ध कराना पड़ा है जिससे अन्य विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में

कठिनाई की स्थिति बनी है। इन सभी विपरीत स्थितियों के बाद भी हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखी गई है। लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों सहित सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं को औसतन 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

64. हमारे कार्यकाल के दौरान इतिहास में सर्वाधिक 14,089 मेगावाट शीर्ष मांग की पूर्ति प्रदेश में की गई। इस वर्ष जनवरी से जून माह की अवधि में विगत वर्ष की तुलना में लगभग 465 करोड़ यूनिट अर्थात् 13.9 प्रतिशत अधिक विद्युत प्रदाय की गई।

65. वित्तीय वर्ष 2019-20 में विद्युत उपलब्धता क्षमता में 2,137 मेगावाट की वृद्धि का कार्यक्रम है। पारेषण कंपनी द्वारा 3,779 सर्किट कि.मी. पारेषण लाईनों एवं 6,308 एम. व्ही. ए. कुल क्षमता के अति उच्च दाब उपकेन्द्र के कार्य पूर्ण किये जाने के कार्यक्रम हैं। म. प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का कुल ₹ 3,878 करोड़ निवेश का कार्यक्रम है।

66. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की समृद्धि के लिये सिंचाई सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। प्रदेश को नदियां प्राकृतिक उपहार में मिली हैं, हमारी सरकार का प्रयास है कि इन नदियों की पवित्रता को बनाये रखते हुये सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जाये। वर्तमान में 31 वृहद्, 57 मध्यम, 441 लघु सिंचाई योजनायें निर्माणाधीन है।

67. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश को आवंटित 18.25 मिलियन एकड़ फीट जल का शत-प्रतिशत उपयोग वर्ष 2024 तक सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही प्राथमिकता पर की जा रही है। आवश्यक धनराशि की व्यवस्था

के लिये बजट के अतिरिक्त नर्मदा बेसिन कम्पनी के द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी प्राप्त किया जायेगा। परियोजना डूब प्रभावित परिवारों के लिये पुनर्वास स्थलों पर वर्तमान सुविधाओं का उन्नयन कर आवश्यकतानुसार नये कार्य कराये जायेंगे।

68. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में संरक्षित एवं पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। जल के सम्यक उपयोग, जल स्रोतों के संरक्षण एवं पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये 'जल का अधिकार अधिनियम' का प्रारूप बनाया जा रहा है। इस अधिनियम द्वारा हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित कर सकेंगे। इस हेतु बजट में ₹ 1 हजार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

69. समस्त ग्रामीण बसाहटों में शुद्ध पेयजल प्रदाय हेतु हैण्डपंप, नलजल एवं समूह जल प्रदाय योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। समूह नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य मद के साथ-साथ बाह्य वित्तीय संस्थानों से भी ऋण लिया जा रहा है। ग्रामीण पेयजल के लिये ₹ 4 हजार 366 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि विगत वर्ष से लगभग 46 प्रतिशत अधिक है।

70. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नगर राज्य की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन हैं। नगरों में रोजगार के युक्तियुक्त अवसर, अधोसंरचना एवं नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये हमारी सरकार कृत संकल्पित है।

71. शहरी विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर के संस्थान अर्बन डेवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट का प्रायवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत गठन करने का निर्णय लिया गया है।

72. सुगम एवं किफायती परिवहन के लिये एक ओर इन्दौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर इन्ट्रा-सिटी एवं इंटर सिटी बस सेवाओं को प्रभावी बनाया जा रहा है। राज्य के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी पर राज्य सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन्दौर में विद्युत खर्च कम करने के लिये सोलर लाईट की स्थापना एवं ग्रीन बॉण्ड जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

73. नगरों में निवास करने वाले आवासहीन परिवारों को आवास हेतु 450 वर्गफीट का पट्टा तथा उस पर मकान बनाने हेतु ₹ 2 लाख 50 हजार की राशि प्रदान कर शहरों में अपने घर के सपने को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार कार्य कर रही है। इस हेतु ₹ 4 हजार 200 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

74. माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े शहरों पर शहरीकरण का दबाव कम करने हेतु सेटेलाईट टाउन के विकास हेतु कार्यवाही की जायेगी तथा स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित 7 नगर निगमों के अलावा अन्य शेष 9 नगर निगमों को आदर्श शहरों के रूप में विकसित किया जायेगा।

75. नगरीय विकास एवं आवास विभाग का बजट प्रावधान राशि ₹ 15 हजार 666 करोड़ रखा गया है जो विगत वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है।

76. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सतही जल संरक्षण के अभाव और भू-जल के सतत् दोहन के कारण सदा बहने वाली नदियां अब धीरे धीरे सूखती जा रही हैं। इससे खेती और जन-जीवन प्रभावित हो रहा है। अतः हमारी सरकार ने समेकित और समग्र जल संरक्षण और प्रबंधन के लिये **नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम** प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न शासकीय योजनाओं से तथा जन

सहभागिता से बरसात के पानी को सहेजने तथा भू-जल संवर्धन के लिये विभिन्न कार्य किये जायेंगे। प्रथम चरण के तहत 36 जिलों में 40 नदियों को चयनित किया गया है। इन्दौर की कान्ह नदी को स्वच्छ जल प्रवाहित कर पुनर्जीवित किये जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। नगरीय क्षेत्र में और संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

77. ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराया जाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु बजट में ₹ 6 हजार 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ₹ 2 हजार 500 करोड़ तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में ₹ 1 हजार 400 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत ₹ 2 हजार 500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पंचायती राज संस्थाओं का राज्य के टेक्स में हिस्सेदारी तथा अन्य योजनाओं हेतु ₹ 7 हजार 828 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

78. प्रदेश में 1.13 लाख शालाओं के 48.66 लाख लक्षित छात्र-छात्राओं को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार मध्याह्न भोजन प्रदाय किये जाने हेतु व्यवस्था को सशक्त किया जायेगा। अतः राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित महिला स्वसहायता समूहों को मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा जायेगा।

79. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कुल बजट प्रावधान राशि ₹ 25 हजार 15 करोड़ रखा गया है। जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 26 प्रतिशत अधिक है।

80. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 14 से 19 नवम्बर के मध्य देशभक्ति पर केन्द्रित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वतंत्रता

के अमर नायकों-वीरांगनाओं, महापुरुषों और अपनी लेखनी के माध्यम से स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले कलम के सिपाहियों से परिचित कराने के विनम्र प्रयास जारी रहेंगे।

81. हमारी सरकार ने अध्यात्म विभाग का गठन किया है। पुजारियों के मानदेय में 3 गुना वृद्धि के साथ उनके हितों की रक्षा हेतु पुजारी कल्याण कोष की स्थापना की जा रही है। इसी प्रकार मठ मंदिर सलाहकार समिति तथा नदियों के लिये पृथक न्यास की स्थापना की जायेगी। राम वनगमन पथ के अंचलों के विकास के लिये प्रावधान किया गया है।

थोड़ा सुकूं भी दीजिये जनाब,

यह जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती।

82. प्रदेश में उपलब्ध सांस्कृतिक विरासत, नैसर्गिक सौंदर्य, कलात्मक मंदिर, वैभवशाली किले, राजप्रासाद एवं पुरातत्वीय महत्व के स्मारक जैसी धरोहरों को संरक्षित एवं विकसित करते हुये पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कड़ी में एक और नया पर्यटन स्थल जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा रिवर फ्रन्ट विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सांची एवं माण्डू में ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से इतिहासिक एवं सांस्कृतिक गाथाओं का प्रदर्शन प्रारंभ किया गया है। पर्यटन स्थलों के लिये टायलेट क्लीनलीनेस मॉनिटरिंग सिस्टम प्रारंभ किया गया है। पर्यटन विभाग के स्वामित्व के होटलों को आधुनिक परिवेश में परिवर्तन एवं उनके मूल्य संवर्धन करने के लिये नवीन योजना प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है।

83. बिगड़े वनों की भूमि पर राष्ट्रीय बांस मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का लाभ लेते हुये वृहद स्तर पर बांस पौधा रोपण किया जायेगा। बांस उत्पादन पर भूमिहीन मजदूरों का अधिकार होगा।
84. तेन्दूपत्ता संग्रहण से जुड़े श्रमिकों की मजदूरी को ₹ 2 हजार प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर ₹ 2 हजार 500 किया गया है।
85. केम्पा योजना अन्तर्गत प्रतिकरात्मक वनीकरण के लिये लोक लेखा में एक निधि का निर्माण किया गया तथा इस वर्ष के बजट में ₹ 250 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
86. प्रदेश में वन्य जीवों एवं प्रकृति के मध्य विचरण करने हेतु डुमना नेचर सफारी का प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।
87. हमारी सरकार की प्राथमिकता सुशासन है। सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, उनके द्वारा बनाई गई योजनाएं जनकल्याणकारी स्वरूप की रहती हैं, अन्तर उनके क्रियान्वयन से पड़ता है। हमारी सरकार ने क्रियान्वयन के पक्ष को सुदृढ़ किया है।
88. त्वरित प्रशासनिक निर्णयों के लिये अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। जिला सरकार व्यवस्था को पुनः क्रियाशील कर प्रभावी बनाया जा रहा है।
89. माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय सेवक, पूरे प्रशासन की धुरी हैं। राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं कार्यक्रम को फलीभूत करने में इस वर्ग की महती भूमिका रहती है। हमारी सरकार का सदैव यह प्रयास रहेगा कि इस वर्ग का उत्साह एवं मनोबल बना रहे। शासकीय सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित बिन्दुओं पर विचार के लिये आयोग का गठन किया जाएगा।

90. हमारी सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिये पुलिस बल को कानूनी एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जायेगा। महिला पुलिस कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु रानी दुर्गावती प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ किया जा रहा है। सायबर अपराध नियंत्रण में नवीनतम तकनीकों का उपयोग, पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण तथा अधोसंरचना विकास हेतु पर्याप्त प्रावधान रखे गये हैं।

91. प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल को नगर सैनिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त रहता है। पुलिस बल में आरक्षकों की नवीन भर्ती के समय नगर सैनिकों को उपयुक्त अवसर दिये जाने के लिये नियमों में आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।

92. गृह विभाग के लिये ₹ 7 हजार 635 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

93. माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में बैठे मेरे अनेक मित्र मुझसे यह प्रश्न करते हैं कि जब विरासत में खजाना खाली मिला है तब सरकार की योजनाएं कैसे क्रियान्वित होंगी। मुझे आभास है, आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझते हुए नवीन कल्याणकारी कार्यों को प्रारंभ करना दुरूह कार्य है परन्तु मैं यह भी मानता हूँ कि

**“आसान होता है एवरेस्ट पर चढ़ना,
उससे भी आसान होता है
चांद को चूमकर धरती पर लौट आना
परन्तु, कठिन होता है
दुख के पहाड़ को,
दशरथ मांझी की तरह
हौसलों से काटना।”**

94. हमारी सरकार राज्य की जनता को किये गये वादों को पूरा करने के लिये अधिक संसाधन जुटाने के लिये कृतसंकल्पित है। हमारी सरकार अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए अभिनव प्रयास कर रही है। परिवहन, आबकारी, पंजीयन एवं खनिज क्षेत्रों में नवीन नीतियों के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व जुटाने के निर्णय लिये गये हैं।

95. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में रियल स्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने पूरे राज्य में संपत्ति की गाइडलाईन दर को एक ही निर्णय में 20 प्रतिशत कम कर दिया। पंजीयन फीस मेयथावश्यक परिवर्तन कर यह सुनिश्चित किया गया कि गाइडलाईन दर में 20 प्रतिशत कमी के बावजूद शासन के राजस्व में कोई कमी न हो। यह उम्मीद है कि इससे संपत्ति के अंतरण के पक्षकार अनावश्यक विधिक समस्याओं से बच सकेंगे और इससे कहीं अधिक संख्या में भूमि अंतरण के दस्तावेज पंजीकृत होंगे। इससे एक ओर तो लोगों के विधिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, दूसरी ओर शासन को भी अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

96. माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तीकरण के लिये संपत्ति में उनका अधिकार सुरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी अथवा बेटियों को अपने संपत्ति का सह खातादार बनाता है, तब उस पर सिर्फ ₹ 1 हजार 100 खर्च होंगे। पूर्व व्यवस्था में सह-खातेदार के रूप में नाम जोड़ने पर संपत्ति के कुल मूल्य का 1.8 प्रतिशत का खर्च आता था।

97. पारिवारिक विभाजन को सुगम बनाने के लिये विभाजन की लिखत पर देय स्टाम्प ड्यूटी को 2.5 प्रतिशत से कम कर मात्र 0.5 प्रतिशत किया गया है। इसी प्रकार, परिवार के सदस्यों के पक्ष में चल संपत्ति के दान पर देय स्टाम्प ड्यूटी व

पंजीयन शुल्क को क्रमशः 2.5 प्रतिशत व 0.8 प्रतिशत से कम कर मात्र ₹ 500 व ₹ 100 क्रमशः तक सीमित किया गया है।

98. माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने आबकारी ठेकों के वार्षिक नवीनीकरण के लिये 15 प्रतिशत अधिक दर तय की थी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार नवीनीकरण करना हमारी बाध्यता थी। परन्तु हमने साहसिक निर्णय लेते हुये 15 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत अधिक दर पर नवीनीकरण किया। राज्य में प्रथम बार ई-नीलामी प्रक्रिया का उपयोग किया गया। परिणामतः इस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 1 हजार 234 करोड़ अधिक राशि प्राप्त हुई है।

99. सिंचाई हेतु निर्मित संरचनाओं में से **Silt** के निवर्तन से अतिरिक्त आय के अभिनव प्रयास प्रारंभ किया गया है।

100. रेत माफियाओं का वर्चस्व समाप्त कर राजस्व आय की चोरी रोकने के लिये रेत खनन के लिये नवीन नीति बनाई गई है।

101. मैं अपने सभी मित्रों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विषम परिस्थितियों के बावजूद आवश्यक धनराशि जुटाने के लिये वित्तीय प्रबंधन को और अधिक सुदृढ किया जा रहा है। कर-अपवंचन को रोकने के साथ राजस्व के नये स्रोतों की पहचान की जा रही है। अप्रासंगिक योजनाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रूपांतरित कर प्रशासकीय व्ययों को सीमित किया गया है।

102. माननीय अध्यक्ष महोदय, विभागवार एवं प्रमुख योजनाओं की जानकारी से माननीय सदन को अवगत कराने के बाद अब मैं सदन के समक्ष प्रदेश के कुल बजट प्रावधानों को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

पुनरीक्षित अनुमान 2018-19

103. पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 1 लाख 51 हजार 159 करोड़ तथा राजस्व व्यय ₹ 1 लाख 51 हजार 22 करोड़ है। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 137 करोड़ है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 28 हजार 611 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.40 प्रतिशत है।

बजट अनुमान 2019-20

राजस्व प्राप्तियां

104. वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान ₹ 1 लाख 79 हजार 353 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां ₹ 65 हजार 274 करोड़ तथा केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 63 हजार 751 करोड़ हैं। कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां ₹ 13 हजार 968 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 36 हजार 360 करोड़ अनुमानित है।

कुल व्यय

105. वर्ष 2019-20 के लिये कुल विनियोग की राशि ₹ 2 लाख 33 हजार 605 करोड़, राजस्व मद अंतर्गत ₹ 1 लाख 78 हजार 621 करोड़ तथा पूंजीगत मद अंतर्गत ₹ 35 हजार 463 करोड़ प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिये वर्ष 2019-20 के लिये समग्र रूप से बजट प्रावधान ₹ 1 लाख 39 हजार 774 करोड़ है।

106. विभागवार बजट प्रावधान खण्ड - 1 में उपलब्ध हैं।

शुद्ध लेन-देन

107. वर्ष 2019-20 की कुल प्राप्तियां ₹ 2 लाख 14 हजार 363 करोड़ तथा कुल व्यय ₹ 2 लाख 14 हजार 85 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन-देन ₹ 278 करोड़ एवं अंतिम शेष ₹ 1 हजार 705 करोड़ का अनुमान है।

राजकोषीय स्थिति

108. वर्ष 2019-20 में राजस्व आधिक्य अनुमानित है। वर्ष 2019-20 के लिये राजकोषीय घाटे का अनुमान ₹ 32 हजार 106 करोड़ है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.34 प्रतिशत अनुमानित है।

109. मेरी बात अधूरी रहेगी यदि मैं पूर्ववर्ती सरकारों के प्रति आभार व्यक्त ना करूं। प्रदेश के विकास में अब तक सभी सरकारों ने योगदान दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारधारा व कार्यशैली पृथक-पृथक हो सकती है परन्तु अंतिम उद्देश्य प्रदेश का बहुआयामी विकास ही है। माननीय सदन के सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिये हम सभी दलीय भावना के ऊपर उठकर एक साथ प्रयास करें, जिससे हमारा अपना प्रदेश खुशहाल एवं विकसित राज्य बने।

**दुआ कौन सी थी,
हमें याद नहीं।
दो हथेलियां जुड़ी थी,
एक तेरी थी, एक मेरी थी।।**

110. माननीय महोदय, मैं इसी कामना के साथ यह दस्तावेज माननीय सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को सौंप रहा हूँ।

।। जय हिन्द

जय मध्यप्रदेश।।
